

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1,अग्नेयकर भवन राजमहल पतेस के पीछे जयपुर

क्रमांक : एच. 11(126)/(कृ.राज.-भो.ना.-ख.छीपा)/ओवीसी/आरएण्डबी/सामाजवि/13/72871


जयपुर दिनांक 30.9.2013

अधिसूचना

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी की गई विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़े गए विभिन्न जाति/वर्गों के नामों के अनुक्रम में मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 259/2013 दिनांक 30 नवम्बर, 2013 की अनुपालना में राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकृत सूची में तुरन्त प्रभाव से निम्न पिछड़े जाति/वर्गों के नाम जोड़े जाते हैं :-

क्र.सं.	जाति/वर्ग जिसे सम्मिलित किया गया है	राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग की जारी सूची की क्रम संख्या एवं पृथक क्रमांक जिस पर इस जाति/वर्ग को जोड़ा गया है
1	कृषक (करसा) राजपूत (खरवड, चदाना, ऊंठड, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दषाणा) समाज	सूची में पृथक क्रमांक 90 पर कृषक (करसा) राजपूत (खरवड, चदाना, ऊंठड, परमार, कडेचा, तलादरा, दिया, गुल, दषाणा) समाज
2	भोपा/भोपा (नायक)	सूची में पृथक क्रमांक 91 पर 'भोपा/भोपा (नायक)'
3	क्रम संख्या 7 पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्टी छीपा, रंगरेज, नीलगर आदि में खट्टी छीपा के साथ 'खट्टी छीपा/सिंधी खत्री'	सूची में क्रम संख्या 7 पर छीपा (छीपी), भावसार, नामा, खट्टी छीपा, रंगरेज, नीलगर आदि में खट्टी छीपा के साथ 'खट्टी छीपा/सिंधी खत्री'

आज्ञा से,


 30/9/13
 (अजिताम शर्मा)
 शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मडामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज. सरकार।
5. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
6. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर/जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
11. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जेष्ठता वर्ग आयोग, जयपुर।
12. निजी सचिव/विशिष्ट सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
13. समस्त विभागाध्यक्ष।
14. समस्त जिला कलेक्टर।
15. समस्त पुलिस अधीक्षक।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
17. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग _____
18. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशन हेतु।
19. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं उपरोक्त समस्त को ई-मेल करने बाबत।
20. गार्ड फाइल।

शासन सचिव